न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 64/2019

अनवान :

जयकरण पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. मुन्शीराम पि0मु0 पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामकिशन पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. धर्मपाल पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. चन्द्रपति पुत्री मुन्शीराम पत्नी दुलीचन्द जाति जाट निवासी गोठया बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5. रेशमा पुत्री मुन्शीराम पत्नी ताराचन्द जाति जाट निवासी गोठया बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
6. बैंक ऑफ बड़ोदा जरिये शाखा प्रबन्धंक बैंक ऑफ बड़ौदा भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री बंशीधर शर्मा **: वादी**
वकील श्री विरेन्द्र झोरड़ **: प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

निर्णय **दिनांक : 03-02-202**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव भाडी के खाता सं0 192/179 के खसरा सं0 186 की 0.6580 है0, खसरा सं0 187 की 1.9230 है0, खसरा सं0 197 की 7.6660 है0 की कुल 10.2470 है0 भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है एवं वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी सम्पति है जो पीढी दर पीढी विरासतन प्राप्त होती आ रही है। प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम को उक्त कृषि भूमि अपने पिता हरलाल से विरासतन प्राप्त हुई थी जो महज परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम के साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। पक्षकारान दावा संयुक्त रूप से उक्त कृषि भूमि काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी सं0 4 चन्द्रपति व प्रतिवादी सं0 5 रेशमा ने वाद भूमि में अपना समस्त हिस्सा अपने पिता प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम व अपने भाईयों प्रतिवादी सं0 2, 3 व वादी के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने इकबालदावे पेश किये। वकील वादी ने प्रतिवादी सं0 6 व 7 को तर्क किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

साक्ष्य वादी में वादी जयकरण के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भाडी के खाता सं0 192/179 सम्वत् 2071 से 74 की प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी सैटलमेंट विभाग ग्राम भाडी सम्वत् 2019 की प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम को अपने पिता हरलाल से विरासतन प्राप्त हुई थी जो महज परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम के साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किये।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी के बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम को वाद कृषि भूमि अपने पिता हरलाल से विरासतन प्राप्त हुई थी वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम के साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी सैटलमेंट विभाग ग्राम भाडी सम्वत् 2019 की प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा हरनाम वल्द फता के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 विरासतन प्राप्त होना व वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 मुन्शीराम पुत्र हरलाल उर्फ हरनाम के वारिसान में पत्नी सरबती, तीन पुत्र रामकिशन, धर्मपाल, जयकरण व दो पुत्रियां चन्द्रपति व रेशमा होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव भाडी के खाता सं0 192/179 के खसरा सं0 186 की 0.6580 है0, खसरा सं0 187 की 1.9230 है0, खसरा सं0 197 की 7.6660 है0 की कुल 10.2470 है0 भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 व 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्यांग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/4–1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03-02-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(मुकेश भादू)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 64/2019

अनवान :

जयकरण पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. मुन्शीराम पि0मु0 पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामकिशन पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. धर्मपाल पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. चन्द्रपति पुत्री मुन्शीराम पत्नी दुलीचन्द जाति जाट निवासी गोठया बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5. रेशमा पुत्री मुन्शीराम पत्नी ताराचन्द जाति जाट निवासी गोठया बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
6. बैंक ऑफ बड़ोदा जरिये शाखा प्रबन्धंक बैंक ऑफ बड़ौदा भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री बंशीधर शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 श्री विरेन्द्र झोरड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव भाडी के खाता सं0 192/179 के खसरा सं0 186 की 0.6580 है0, खसरा सं0 187 की 1.9230 है0, खसरा सं0 197 की 7.6660 है0 की कुल 10.2470 है0 भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है मे तन्हा प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 व 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग दिय है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने व उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 प्रत्येक के ना 1/4–1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाल की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.26 10:57:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: